228

न्यायालय राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0सिंह

सदस्य

पूर्नविलोकन प्रकरण कमाक 2535–11–2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2016 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण कमाक 2622–दो–2014 निगरानी ।

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री उधम सिह रघुवंशी
निवासीगण ग्रम मलावनी तहसील मुगावली
जिला अशोकनगर म.प्र.

.....आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

.....अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिह जादौन)

(अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री बी.एन. त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 23-1- –2016 को पारित)

यह पूर्नविलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क 2622/दो/2014 निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 06.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केंवल संहिता कहा जायेगा) के अतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक को ग्राम मलावनी स्थिति भूमि सर्वे कमाक 302 हैक्टर मे से रकवा 1.500 का व्यवस्थापन तहसीलदार मुगावली के प्रकरण क 161/अ–19/89–90 आदेश दिनांक 05.10.1990 से स्व0 श्री पन्नालाल जी के नाम से उक्त भूमि का व्यवस्थापन किया गया स्व. पन्नालाल जी का कोई वारिस न होने के कारण आवेदक को दिनांक 23.4.2012 को स्व. पन्नालाल जी ने उक्त भूमि का वसियत आवेदक के हित मे कर दिया जिस कारण उक्त निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई । उक्त व्यवस्थापन किये जाने से किसी को कोई आपत्ति नही रही किन्तु अपर कलेक्टर अशोकनगर ने स्वयमेव निगरानी में लेकर प्रकरण क 524/97–98 मे पारित आदेश दिनांक 30.3.99 से उक्त व्यवस्थापन आदेश को वगैर सुनवाई का मौका दिये व्यवस्थापन आदेश को काफी लम्बे समय के वाद स्वमेय निगरानी में लेकर निरस्त कर दिया जिस अपर कलेक्टर के स्वयमेव निगरानी मे पारित आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी 446/2009–2010 प्रस्तुत की गई जो आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2010 से निरस्त की गई जिस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण कमाक 2622/दो/2014 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 6.7.2016 से निरस्त कर दी गई । इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यह पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3/ आवेदक द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि पर पूर्वजो के समय से निरस्तर कव्जा कास्त करके चला आ रहा है तहसीलदार द्वारा विधिवत एंव नियमानुसार जांच करने के उंपरात किसी की कोई आपत्ति न आने पर व्यवस्थापन किया गया है जो व्यवस्थापन वर्ष 1990 मे किया गया है अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय वाद वगैर आवेदक को सुने व सुनवाई का मोका दिये व्यवस्थापन को लगभग 8 वर्ष वाद स्व.निगरानी में लेते हुये व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो आलोच्य आदेश कंतई उचित एंव न्याय संगत नही है।

माननीय वरिष्ठ उच्चतम एंव उच्च न्यायालय ने कई न्याय सिंद्धात प्रतिपादित किये है कि स्वनिगरानी मे प्रकरण को सिर्फ 180 दिन के भीतर लेना चाहिए काफी लम्बे समय के वाद प्रकरण को स्व. निगरानी मे नही लेना चाहिए । उक्त अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी लम्बे समय 8 वर्ष के अंतराल के वाद प्रकरण को स्व. निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो कतई उचित एंव न्याय संगत न होने से निरस्त योग्य है एंव पुर्नविलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह वताया गया कि अधिनस्थ न्यायालयों एंव इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत एंव सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्क एंव उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया दस्तावेजो के अवलोकन से स्पस्ट है कि आवेदक को उक्त भूमि का व्यवस्थापन तहसील मुगांवली न्यायालय के प्रकरण क 161अ–19/89–90 मे पारित आदेश दिनांक 05.10.1990 से किया गया है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा काफी समय के वाद स्व. निगरानी में लेते हुये प्रकरण क 524/97–98 स्व निगरानी में दर्ज करते हुये अपने आदेश दिनांक 30.3.99 से आवेदक के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया गया हैं जवकि अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्व0 निगरानी मे काफी समय के अंतराल के वाद लिया है निश्चित समय के अन्दर मे नही लिया हैं दूसरे पक्ष को सुने वगैर , उसको सूचना पत्र जारी किये वगैर आदेश पारित किया गया है जो उचित नही है। आवेदकगण द्वारा उक्त पटटे पर प्राप्त भूमि पर आज काफी धन खर्च कर उक्त भूमि को उपजाउ वनाया है उसमे टयूवेल पम्प लगार उक्त भूमि को उपजाउ वनाकर काफी मेहनत करके भूमि को उपंजाउ कृषि योग्य वनाया गया है इसलिये अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण को स्वनिगरानी मे लेते हुये पटटे निरस्त

करने से आवेदक को काफी मानसिक व शारीरिक व आर्थिक हानि हुई है। इस सम्वध में 2000 आर0एन0 161 मान.उच्च न्यायालय , 2000आर0एन0 67 उच्च न्यायालय ,2010 (4) एमपीएलजे 178,1996 आर0एन0 137, ,1969 एससी 1297 ,1990 आर.एन. 77, 1992 आर. एन. 163 के न्याय दृष्टातों मे अभिमत दिया गया है । कि स्व0 निगरानी में कोई प्रकरण लेना है तो निश्चित समय सीमा के भीतर लेना चाहिए काफी अंतराल के वाद नही एवं दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये विना नही करना चाहिए कलेक्टर अशोकनगर द्वारा जो प्रकरण स्व निगरानी मे लिया गया है व कतई उचित एंव नियमानुकूल नही है। इस वैधानिक तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालयों एंव इस न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है । एंव आवेदक को उक्त निगरानी पेश करने मे हुये विलम्ब को सदभावना पर मानते हुये न्याय हित में क्षमा किया जाता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—07—2016 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क 622/2009—10 पारित आदेश दिनांक 28—08—2010 एंव अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा स्व0 निगरानी 524/97—98 में पारित आदेश दिनांक 30—3—1999 विधिवत एंव उचित नही होने से निरस्त किये जाते है। तथा तहसीलदार मुंगावली का आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन प्रकरण क 161/अ—19/89—90 में पारित आदेश दिनांक 05—10—1990 स्थिर रखा जाता हैं ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर